भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 407

बुधवार, 27 फरवरी, 2013/8 फाल्गुन, 1934 (शक)

ईपीएफओ के नए नियमों का स्थावर संपदा और निर्माण क्षेत्र के कामगारों पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव

407. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नए नियम निजी क्षेत्र के अधीन स्थावर संपदा और निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को विपरीत रूप से प्रभावित करेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त नियम को पूरी तरह बदल देने की मांग की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस नियम के लागू होने पर उक्त क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी अपना मेहनत से कमाया गया धन आहरित नहीं कर पाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कोई नया नियम कार्यान्वित नहीं किया गया है जो निजी क्षेत्र के अधीन स्थावर संपदा और निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा।

(ख) से (ङ): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 414

बुधवार, 27 फरवरी, 2013/8 फाल्गुन, 1934 (शक)

न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि

414. श्री एम. वेंकैया नायडु:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त हुए भविष्य निधि के कुछ पेंशनभोगी प्रतिमाह मात्र 12 रुपये तक की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या मंत्रलय के समक्ष न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि करने और इसे मुद्रास्फीति के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कितनी समयावधि में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): जी, नहीं।

(ख) और (ग): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000/- रुपये प्रतिमाह कर दिए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तथापि, इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

इसके अतिरिक्त, ईपीएस, 95 के अंतर्गत पेंशन को मुद्रास्फीति से संबद्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 401

बुधवार, 27 फरवरी, 2013/8 फाल्गुन, 1934 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन में वृद्धि

401. डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों को एक न्यूनतम निश्चित पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार पेंशनभोगियों को कम से कम कितनी राशि देने की योजना बना रही है;
(ग) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन में उचित वृद्धि के लिए कर्मचारियों की मांग के मद्देनजर क्या सरकार ने वर्तमान योजना को संशोधत करने का विचार किया है;
(घ) यदि हां, तो संशोधत पेंशन कब तक वितरित किए जाने की संभावना है; और
(ङ) वर्तमान में कितने कर्मचारी ईपीएफओ से पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) से (घ): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम 1000/-रुपये प्रतिमाह तक पेंशन का बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तथापि, इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

(ङ.): वर्तमान में 41 लाख पेंशनधारक ईपीएफओ से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 402

बुधवार, 27 फरवरी, 2013/8 फाल्गुन, 1934 (शक)

ईपीएफओ में निष्क्रिय खाते

402. श्री सी. एम. रमेश:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में निष्क्रिय खातों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): जी हां।

(ख): भविष्य निधि सदस्यों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों से दावे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि ऐसे निष्क्रिय खातों के दावे निपटाए जा सकें:-

(i) उन स्थापनों से विवरणियां एकत्र की जाती हैं जहां अंशदान प्राप्त किए जाते हैं ताकि सदस्यों के खाते सक्रिय रखने के लिए अद्यतन किए जा सकें।

(ii) प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार द्वारा सदस्यों को अपने दावे दायर करने के लिए शिक्षित करना ताकि वे अपने पुराने भविष्य निधि खातों का निपटान अथवा स्थानांतरण सक्रिय खातों में करवा सकें।

(iii) नियोक्ता तथा कर्मचारी संघों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने सदस्यों को उनके दावों के निपटान के लिए सलाह दें।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 409

बुधवार, 27 फरवरी, 2013/8 फाल्गुन/1934 (शक)

भविष्य निधि एजेंडा नीति पर निर्णय

409. श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों की भविष्य निधि से संबंधित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) में भविष्य निधि एजेंडा नीति तय कर ली है या इस संदर्भ में कोई बैठक कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) से (ग): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की बैठक की कार्यसूची कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा तैयार की जाती है। सीबीटी, ईपीएफ की अंतिम बैठक 25.02.2013 को आयोजित की गयी थी।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1823

बुधवार, 13 मार्च, 2013/22 फाल्गुन, 1934 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित वसूली को बढ़ाया जाना

1823. श्रीमती कानीमोझी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा के लिए वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धरित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा हेतु वेतन की अधिकतम सीमा में वृद्धि की बराबरी करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित वसूली की राशि को भी बाद में बढ़ाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कवरेज हेतु मजदूरी की अधिकतम सीमा को बढ़ाए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ): ऊपर प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2574

बुधवार, 20 मार्च, 2013/29 फाल्गुन, 1934 (शक)

निजी सुरक्षा एजेंसियों से भविष्य निधि में अंशदान की वसूली

2574. श्री प्रभात झा:
श्रीमती कुसुम राय:
श्री अरविन्द कुमार सिंह:
श्री आलोक तिवारी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में गैर-सरकारी कम्पनियों को सुरक्षा गार्ड प्रदान करने वाली ब्रिटिश कम्पनी मैसर्स जी 4 एस सिक्योर सॉल्यूशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड सहित कुछ अन्य सुरक्षा एजेन्सियों ने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि के खातों में अपने सैकड़ों करोड़ रुपयों के अंशदान की राशि जमा नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सुरक्षा-कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2012 के दौरान इन कम्पनियों को भविष्य निधि के खातों में अपना अंशदान जमा करने हेतु नोटिस जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक वसूली गई राशि और आज की स्थिति के अनुसार वसूली जाने वाली शेष राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): ब्रिटिश कम्पनी मैसर्स जी 4 एस सिक्योर सॉल्यूशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड सहित कुछ सुरक्षा एजेन्सियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास अंशदान की राशि जमा करने में चूक की है।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में चूककर्त्ता सुरक्षा एजेंसियों का कंपनीवार ब्योरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता।

(ग) और (घ): सभी चूककर्त्ता सुरक्षा एजेंसियों को अपनी-अपनी अंशदान की राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा करने के लिए नोटिस निष्पादित कर दिए गए हैं।

(ङ): अब तक, ऐसी चूककर्त्ता कंपनियों से 19.14 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल कर ली गई है और इन कंपनियों के विरूद्ध 220.56 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4602

बुधवार, 8 मई, 2013/18 वैशाख, 1935 (शक)

भविष्य निधि खाता धरकों के लिए पासबुक

4602. श्री मोती लाल वोरा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निष्क्रिय खातों की संख्या 3 करोड़ से अधिक है;
(ख) क्या यह भी सच है कि इसमें 16 हजार करोड़ रुपये की राशि असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों की है;
(ग) संबंधित मजदूरों को उनकी राशि पहुंचाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है;
(घ) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की भविष्य निधि की राशि काटने के साथ ही उन्हें पासबुक उपलब्ध करायेगी, ताकि भविष्य में काम की जगह बदलने पर उनका भविष्य निधि खाता एक ही बना रहे; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में कोई निष्क्रिय खाता नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना,1952 के पैरा 72(6) के उपबंध के अनुसार कतिपय दशा में किसी सदस्य का खाता निष्क्रिय खाते के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार हैं।

(ख): जी, नहीं

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4601

बुधवार, 8 मई, 2013/18 वैशाख, 1935 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना के पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता

4601. श्री सालिम अन्सारी:
श्री जय प्रकाश नारायण सिंह:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले कितने पेंशनभोगियों को 500 रुपए से कम तथा कितनों को 500 रुपए से अधिक लेकिन 1000/- रुपए से कम की मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार को इतनी कम पेंशन के प्रति विरोध जताते हुए उसे संशोधित करने की मांग करने वाले कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जाएगी;
(ग) लगभग दो दशकों पहले निर्धरित की गई पेंशन की दरों को संशोधित न किए जाने के क्या कारण हैं;
(घ) क्या इन पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की ही तरह कोई महंगाई भत्ता मिलता है; और
(ङ) यदि हां, तो उक्त महंगाई भत्ता कितनी बार और किस-किस दर पर दिया गया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): 31.03.2012 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 500/-रुपये प्रतिमाह से कम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनधारकों की संख्या लगभग 12 लाख है और जो 500/-रुपये से अधिक एवं 1000/-रुपये से कम पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 16.05 लाख है।

(ख): मामूली पेंशन तथा पेंशन में वृद्धि की मांग संबंधी कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इस मामले के संबंध में भारत सरकार ने 12.06.2009 को कर्मचारी पेंशन योजना,1995 की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की एक उप-समिति, पेंशन क्रियान्वयन समिति द्वारा विचार किया

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 589*

बुधवार, 08 मई, 2013/18 वैशाख, 1935 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा

*589. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह समीक्षा कब तक की जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अन्तर्गत दी जा रही धनराशि को पेंशनधारकों के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त मानती है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार किस प्रकार से इन कर्मचारियों की मदद करने का विचार रखती है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार मंत्री

(श्री मल्लिकार्जुन खरगे)

(क) से (घ): एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 08.05.2013 को श्री महेन्द्र सिंह माहरा द्वारा पूछे जाने वाले कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा संबंधी राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 589 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ): सदस्य की पेंशन की गणना करने के लिए सूत्र निम्नवत् है:-

$$\frac{\text{पेंशन योग्य सेवा} \times \text{पेंशन योग्य वेतन}}{70}$$

अत: सदस्य की पेंशन राशि पेंशन योग्य सेवा एवं पेंशन योग्य वेतन के समानुपाती होती है। यदि एक अथवा दोनों ही कारक कम हैं तो पेंशन राशि कम होगी। इसलिए बीड़ी, सन्निर्माण, काजू, ईंट आदि जैसे असंगठित क्षेत्र/उद्योगों के कामगार कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि उनकी पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन कम है।

पेंशन धारक सदस्य को न्यूनतम पेंशन के रूप में 1000/- रूपये प्रति माह प्रदान करना सुनिश्चित करने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4605

बुधवार, 8 मई, 2013/18 वैशाख 1935 (शक)

कर्मचारी पेंशन निधि खाता के अंतर्गत राशि

4605. श्री देवेंदर गौड टी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जुलाई, 2012 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी पेंशन निधि खाता में कुल कितनी राशि जमा थी;

(ख) 1 जुलाई, 2012 की स्थिति के अनुसार, उक्त निधि से अर्जित ब्याज का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पेंशन निधि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाने की योजना बनाए जांने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह अंशदाताओं के लिए मददगार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): 01 जुलाई, 2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पेंशन निधि खाते में पड़ी निधि (प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य) कुल राशि 165,395.02 करोड़ रुपये है।

(ख): 1 अप्रैल, 2012 से 1 जुलाई, 2012 तक कर्मचारी पेंशन निधि पर अर्जित ब्याज 2289.94 करोड़ रुपये है।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता ।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4612

बुधवार, 8 मई, 2013/18 वैशाख 1935 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर में बढ़ोत्तरी

4612. डा योगेन्द्र पी.त्रिवेदी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो कब तक और कितनी बढ़ोत्तरी की जाएगी; और
(ग) इससे लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्रालय
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने अपनी 201वीं बैठक में वर्ष 2012-13 के लिए ईपीएफ पर 8.5% के ब्याज दर की सिफारिश की है। यह वर्ष 2011-12 के लिए घोषित 8.25% की तुलना में अधिक है। तथापि, यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग): इससे ईपीएफ के लगभग 8.55 करोड खाता धारक लाभान्वित होंगे।

****